

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

मोहन लाल / छीतनमल केरें

केस संख्या : 84/2023

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/2024		<p>पत्रावली प्रस्तुत। वक. क. उप/18 उपपत्र ने खरु हेतु सज्य पाए। का. ता. फरीदा खरु के। पत्रावली वरिष्ठ खरु टिक 25 के पेश हो।</p>	
35/2024		<p>पत्रावली प्रस्तुत। उपपत्र (सिधवला उपस्थित) उपपत्र की शर्त पर खरु पुनी गरी प्रार्थी (सिधवला ने नारि विप की। विवाहित पारजी पैतक है। प्रार्थी व अप्रार्थी शाला-2 रूप से साधिकार काबिल कहत है। पत्रु क्ली खरुवा रिपोर्ट नही हुके है अप्रार्थी किन विमान हुके भूमि के बेचान करुन चाहत है तथा प्रार्थी को खरुखल करुन चाही अप्रार्थी (सिधवला ने अप्रार्थी नारि की। पत्रावली का शवलोकन किया गया। वरु खरुवा का है। खरुवा डोग है। मतः वरु का हुलपा के शिके के लिए उपपत्र के जरि अप्रार्थी निषेधा से पाव-3 किया जात है कि वे शिके गत अपराधपुरा तहसील रातपुरा डाकी के ख. न. - 1403 रकबा 8.53 में शिके व रिपोर्ट की प्रार्थी मूल वरु के निस्तारण तक खरुपे रखें।</p> <p>पत्रावली फेसल शुका टिक कारिबल फतल हो।</p>	

सहायक कलक्टर
आमेर 3. 2024

सहायक कलक्टर
आमेर 3. 2024

